रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 21 फरवरी, 2003/2 फाल्गुन, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

कारण बताओ नोटिस

मण्डी, 29 जनवरी, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-527-30.—ग्राम पंचायत सरी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी में सम्पन्न/निर्माणाधीन कार्यों की जांच/निरीक्षण जिला योजना अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा किया गया। जांच के निष्कर्ष के आधार पर निम्न गम्भीर अनियमितायें तथा सरकारी धन के छलहरण के मामले प्रकाश में आयें हैं :—

1. **निर्माण रास्ता समैला से पनयाला वाया वाहलड़ा :**

इस सम्बन्ध में प्रस्तुत है कि इस नाम की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, जबकि स्वीकृति "मुरम्मत रास्ता अम्बा-रा-धाटु से वाहलडा" के नाम से राहत शीर्ष से जारी की गई है। इस कार्य हेतु मु0 18,000/- रुपये स्वीकृत किये हैं। विकास खण्ड कार्यालय धर्मपुर द्वारा इस कार्य के निर्माण हेतु मु0 5000/- रुपये प्रथम किस्त के रूप में जारी किये गये हैं। इस कार्य का मौका पर स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा इसकी पैमाईश विकास खण्ड के कनिष्ठ अभियन्ता व सुपरवाईजर से शिकायतकर्ता के समक्ष की गई। निर्माण कार्य की पैमाईश करने पर राशि मु0 18,936/- रुपये पाई गई। अतः मु0 936/- रुपये स्वीकृत राशि से अधिक व्यय की गई है तथा निर्माण कार्य की अन्तिम पैमाईश नहीं की गई है।

3635-राजपत्र/2003-21-2-2003—1,389. (3511) मूल्य : एक रुपया।

2. **निर्माण रास्ता वुथलाड़ा से प्रताप सिंह के घर तक :**

यह रास्ता पंचायत निधि से स्वीकृत है । इस कार्य हेतु मु0 15,000/- रुपये स्वीकृत हुये हैं। मौका पर निरीक्षण के दौरान कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया गया। सरकारी नियमों के अनुसार जिस प्रकार कार्य का निर्माण किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया। इस कार्य की पैमाईश करने पर राशि मु0 10127/- रुपये व्यय बनती है । अतः मु0 4873/- रुपये का छलहरण हुआ है ।

3. **निर्माण पक्का रास्ता खड्ड से प्रधान के घर तक :**

इस कार्य हेतु जे0 आर0 वार्ड शीर्षक से मु0 5000/- रुपये स्वीकृत है । इस रास्ते का निर्माण कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया। प्रधान द्वारा रास्ता न बनाकर केवल अपने घरों को पौड़िया लगाई गई हैं । जोकि नियमों के विरूद्ध है तथा इस कार्य पर मात्र लगभग मु0 1100/- रुपये ही व्यय पाये गये। मु0 3900/- रु0 का छलहरण हुआ है ।

4. **निर्माण पक्का रास्ता सनौर वार्ड :**

इस कार्य हेतु मु0 10,000/- रुपये स्वीकृत किये गये है । इस रास्ता का निर्माण कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया गया है । इस कार्य के मुल्यांकन पर मु0 1200/- रुपये की राशि व्यय बनती है तथा मु0 8800/- रुपये की राशि का छलहरण हुआ है ।

अतः मैं, जे0 पी0 सिंह, उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, (हि0 प्र0) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 142 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती सत्या देवी, प्रधान ग्राम पंचायत सरी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी को एतद्द्वारा निर्देश देता हूं कि वे उपरोक्त अनुसार वर्णित आरोपी/निरीक्षण आपत्तियों के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत करें । नियत अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नही कहना है तथा इस सम्बन्ध में विधि अनुसार कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी ।

जे0 पी0 सिंह,
उपायुक्त, मण्डी,
जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

ORDER

Mandi, the 3rd February, 2003

No. SR/LC/L&O/Elec./2003-3556-68.—Whereas it is essential to maintain strict law and order in the district in view of the coming Vidhan Sabha Elections.

Therefore, I, J. P. Singh, District Magistrate, Mandi, District Mandi in exercise of power conferred upon me under section 144 Cr. P. C. do hereby impose restrictions on carrying fire Arms or any other Lethal Weapon in public places with effect from 10-2-2003 to 7-3-2003 in the entire Mandi district. This order shall not apply to the personnel of H. P. Police,

H. P. Home Guards and Central Para Military Forces and any such Government Armed forces as may be requisitioned by the State Government or by the Returning Officer for Vidhan Sabha Constituency for the conduct of elections.

Any person violating the said order shall be liable for prosecution.

J. P. SINGH,
District Magistrate,
Mandi, District Mandi (H. P.).

कार्यालय उपायुक्त शिमला, जिला शिमला; हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

शिमला; 10 फरवरी, 2903

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0(4)-163/85-1 122-25.—एतद्द्वारा श्री खेमा नन्द शर्मा पुत्र श्री पूर्ण दत्त, प्रधान, ग्राम पंचायत कोटीघाट, विकास खण्ड नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) का ध्यान हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ग) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है जो निम्न है ।

> कोई व्यक्ति पंचायत का अधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा, "यदि उसने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसायटी की या उस द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर ली गई या अधिगृहित किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब तक की उस तारीख से जिसको उसे उससे बेदखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो ।"

यह कि उक्त श्री खेमा नन्द शर्मा के विरूद्ध श्री भूप राम (राजु), निवासी गांव व डा0 कोटीघाट, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला से प्राप्त शिकायत पत्र पर उप निरीक्षक विकास खण्ड नारकण्डा तथा उप मण्डल अधिकारी (ना0), रामपुर बुशैहर के माध्यम से करवाई गई प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट से यह पाया गया कि श्री खेमा नन्द शर्मा ने ग्राम पंचायत कोटीघाट के निर्वाचनार्थ रिटर्निंग अधिकारी के पास 20-11-2002 को दायर नामांकन पत्र में यह घोषणा की थी कि उसने राज्य सरकार, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् या सहकारी सोसाइटी से सम्बन्धित या उनकी ओर से पट्टे पर ली गई अथवा अधिगृहित की गई किसी भूमि का अधिक्रमण नहीं किया है और विधि के अधीन किन्ही अन्य निरर्हताओं से भी ग्रस्त नहीं है, जबकि तहसीलदार, कुमारसैन के कार्यालय में संधारित अभिलेख के क्रमांक 1693 पर किए गए इन्द्राज अनुसार चक कोटीघाट में खसरा नं0 773/119/1 में स्थित 0-00-87 हैक्टेयर भूमि पर किये गए नाजायज कब्जे को नियमित करने हेतु उसने दिनांक 14-5-2002 को आवेदन पत्र भी दायर किया है जिसमें स्पष्ट है कि उक्त श्री खेमा नन्द शर्मा, प्रधान, ग्राम पंचायत कोटीघाट द्वारा प्रधान पद के निर्वाचनार्थ नामांकन पत्र दायर करते समय सरकारी भूमि पर उसका नाजायज कब्जा न होने बारे झूठी घोषणा की गई है, जबकि तहसीलदार कुमारसैन के कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र अनुसार उसने चक कोटीघाट में खसरा नं0 773/119/1 में स्थित सरकारी भूमि पर अपना नाजायज कब्जा होना स्वीकार किया है, इसलिए हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ण) अनुसार वह ग्राम पंचायत कोटीघाट के प्रधान पद पर बने रहने के लिये निरर्हित हो गये हैं ।

अतः मैं, जे0 एस0 राणा, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 (1) (2) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त श्री खेमा नन्द शर्मा, प्रधान, ग्राम पंचायत कोटीघाट, विकास खण्ड नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) को उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि वह इस कारण बताओ नोटिस

की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना उत्तर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हें इस कृत्य के लिए हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान अनुसार उनके पद से हटा कर ग्राम पंचायत कोटीघाट के प्रधान पद को रिक्त घोषित कर दिया जाये। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

जे0 एस0 राणा,
उपायुक्त, शिमला,
जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित